<u>प्र.सं. 63/2020 श्रीमती मांगूकुंवर व अन्य बनाम भंवरसिंह व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.09.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट ''क'' अंकित आराजी नंबर 47, 48, 49, 50 कुल किता 4 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम 3/4 हिस्से से दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा दर्ज है जो नामान्तरकरण संख्या 466 दिनांक 06.05.2019 विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज हो चुकी है। उक्त भूमि के मूल पुरूष तख्तसिंह जी थे, जिनका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज है, वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रियां होने से उक्त 1/4 हिस्से में उनका भी समान हक अधिकार है। अर्थात प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है अर्थात कुलिया जमीन में 1/12 हिस्सा, 1/12 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने षड़यंत्र पूर्वक नुमाईशी विक्रय पत्र दिनांक 26.03.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को विक्रेता दर्शाकर प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में पंजीयन करवा दिया, जो वादीगण के मुकाबले शून्य व बेअसर है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित उपरोक्त आराजियात में वादीगण प्रत्येक को 1/12, 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वाद वर्णित आराजियात को किसी अन्य को रहन, बेह, बक्षीस नहीं करें न ही वादीगण को बेदखल करें तथा मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादीगण को वाद को विधि बाधित बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की, जिसे वादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत [illegible]ीकार किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश [illegible] नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर उभय[illegible]ों को सुनकर अपने [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:25 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 18.08.2020 से प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 15.09.2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3, 4 की ओर से वकील श्री पन्नालाल मारू उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से वकील श्री ललित जैन उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपनी मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के मामलों में स्थापित परम्परा यह है कि इसके विनिश्चय के दौरान प्रतिवादीपक्ष के बचाव को देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल वादी को ही देखा जाना चाहिए, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस स्थापित परम्परा से हटकर निर्णय पारित किया है। आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र में ऐसे बिन्दु उठाये हैं, जो विधि एवं तथ्यों के मिश्रित प्रश्न है, जिन्हें केवल शहादत से ही तय किया जा सकता है, जबकि बिना शहादत के निर्णय पारित किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों एवं परिपत्र का अवलोकन ही नहीं किया गया, जिसके अनुसार पुत्र अथवा पुत्री अपने पिता के जीवनकाल में वाद ला सकता है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परिपत्र की अनदेखी कर निर्णय पारित किया गया है। वादीगण का वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत है, जहां मौरूसी सम्पत्ति में वादीगण का जन्म से अधिकार है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 में केवल धारा 8 का ही उल्लेख किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बात पर जोर दिया है कि जब तक वादी दस्तावेज सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:25 IST
Reason: SelfAttested

करवा ले तब तक वाद लाने का अधिकार नहीं है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट का वाद डिक्री फरमाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3, 4 के अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में वाद लाया गया है जो चलने योग्य नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से खारिज किया गया है। भंवरसिंह को अपनी सम्पत्ति विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होने से उसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय किया गया है और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को जब तक सिविल न्यायालय ने निरस्त नहीं करवा लिया जाता तब तक वादीगण का वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अपने कथन में समर्थन में न्यायिक नजीरें ए.आई.आर. 1986 सुप्रिम कोर्ट पेज 1753, ए.आई. आर. 1987 सुप्रिम कोर्ट पेज 558, डी.एन.जे. 2016 सुप्रिम कोर्ट पेज 258, ए.आई.आर. 2017 सुप्रिम कोर्ट पेज 494 प्रस्तुत कर अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018 में विवादित आराजियात तख्तसिंह के खाते में दर्ज है तथा विरासत ये उक्त आराजियात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम 1/4, 1/4 हिस्से से दर्ज हुई है। तत्पश्चात् रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.03.2019 से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा विवादित आराजियात का विक्रय प्रतिवादी संख्या 5 में किया जाना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से स्पष्ट है, लेकिन यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्टगण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 भंवरसिंह की पुत्रियां हैं, जिससे मौरूसी सम्पत्ति में उनको भी अपने पिता के समान ही हक व अधिकार बनता है, तदनुसार उनका विवादित आराजियात में 1/12, 1/12 हिस्सा है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने पिता के जीवनकाल में पुत्रियों को वाद लाने का अधिकारी नहीं मानते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:25 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट/वादीगण का वाद हिन्दु उत्तराधिकार की अधिनियम की धारा 8 अनुसार विधि बाधित होना मानकर खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि अपीलान्टगण का कथन है कि उनका वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत है, जिसमें मौरूसी सम्पत्ति में उनका जन्म से अधिकार है एवं उनका विवादित आराजियात में 1/12, 1/12 हिस्सा है तथा उनके पिता को केवल उनके 1/12 हिस्से तक ही भूमि विक्रय करने का अधिकार था। वादीगण का वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत आता है अथवा धारा 8 के तहत, वादीगण को अपने पिता के जीवनकाल में वाद लाने का अधिकार है अथवा नहीं, इसका निर्धारण तो साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता, जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का बिना विवेचन किये केवल आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के आधार पर वादीगण का वाद खारिज कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। इस संबंध में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 19/2020 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उपभपक्षों को पुनः सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.11.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:25 IST
Reason: SelfAttested